निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 53/2019
दायरा दिनांक :– 10.06.2019
निर्णय दिनांक :– 17.12.2021

उनवान

1. विरेन्द्र पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राम्हण निवासी श्रीजी चौक बारां जिला बारां।
2. नीरज पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राम्हण निवासी श्रीजी चौक बारां जिला बारां।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. दाखां बाई पुत्री परमा जाति नायक निवासी मोठपुर तहसील बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट – वादी
2 श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट विरूध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम फूंसरा तहसील बारां में आराजी ख.नं. 201 रकबा 0.13 है. ख.नं. 867/203 रकबा 0.75 है. ख.नं. 870/206 रकबा 0.48 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.36 है. भूमियां स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है प्रार्थीगण को उक्त खेत ग्राम मोठपुर व फूंसरा के कांकड पर स्थित है। प्रार्थीगण के खेत कांकड पर स्थित होने से प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता ख.नं. 207 सिवायचक कांकड पर स्थित है तथा एक अन्य रास्ता अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 128 रकबा 1.64 है. की मेड पर से होकर जाता है प्रार्थीगण प्रारम्भ से ही ख.नं. 128 की मेड पर से होकर आते जाते है जो अप्रार्थी के खाते में दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा यदि किसी काश्तकार के खेत पर जाने के लिए कोई राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ता नही हो तो वह समीपवर्ती काश्तकार के खेत की मेड पर होकर नियमानुसार राशि जमा करवाकर रास्ता कायम करवाया जा सकता है जो गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज होगा। प्रार्थीगण के खेत पर जाने के लिए ख.नं. 207 सिवायचक कांकड है जिस पर अप्रार्थी द्वारा तारबंदी कर रास्ता बंद

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

किया हुआ है तथा एक अन्य रास्ता ख.नं. 128 रकबा 1.64 है. जो अप्रार्थी के खाते का है जिसकी मेड पर जाने का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इस कारण प्रार्थीगण ख.नं. 128 व ख.नं. 207 की मेड पर होकर रास्ता कायम कराने के अधिकारी है इसके लिए अप्रार्थी के खाते की जितनी भूमि जायेगी उस भूमि की नियमानुसार (डी.एल.सी.) अनुसार राशि अप्रार्थीगण अप्रार्थी को देने को तैयार है यह राशि अप्रार्थी को दी जावें। प्रार्थीगण सदैव से इसी रास्ते से आते जाते है तथा अपने खेतो पर कृषि यंत्रो को लाने ले जाने तथा कटाई बुवाई वगैरा करते हुए परन्तु दिनांक 15.05.2019 को अप्रार्थी तथा उसके पुत्रों को प्रार्थीगण को इस रास्ते पर जाने से रोका इस कारण वाद कारण दिनांक 15.05.2019 को उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ तथा अप्रार्थी कम 2 से मोके की रिपोर्ट ली गयी। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम फूंसरा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 247, नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर सम्वत 2073–76 खाता सं. 60, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फोटो प्रति, रिपोर्ट हल्का पटवारी फूंसरा दिनांक 04.01.2017 पेश की गयी।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम फूंसरा तहसील बारां में स्थित है। जो वर्तमान में प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। प्रार्थीगण के खेत पर जाने का रास्ता ख.नं. 207 सिवायचक भूमि कांकड पर स्थित है तथा एक अन्य रास्ता अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 128 रकबा 1.64 है. की मेड पर होकर जाता है। प्रार्थीगण पूर्व से ही अपने खाते की आराजी पर ख.नं. 128 की मेड पर होकर आते–जाते थें। प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि की मेड पर होकर राज्य सरकार के आदेशानुसार राशि जमा कराकर रास्ता कायम करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख.नं. 207 व 128 मे होकर नियमानुसार रास्ता कायम किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी की भूमि के उत्तरी ओर ख.नं. 207 सिवायचक व ग्राम मोठपुर एवं फूंसरा का कांकड है। उक्त कांकड से प्रार्थीगण मुख्य सडक के रास्ते से आते जाते है। प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर आने जाने का कदीमी रास्ता ख.नं. 207 कांकड की भूमि से है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का रास्ता होने के बावजूद भी प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि से रास्ता लेना चाहता है। जो मनमाने तरीके से लेना चाहता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि की मेड से कभी भी नही आता जाता था। हमेशा कांकड पर होकर आता जाता था। अप्रार्थीयां अनुसूचित जाति की महिला है। अनुसूचित जाति की भूमि से स्वर्ण जाति का काश्तकार रास्ता के रूप में निरबंधित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम फूंसरा सम्वत 2072–75 के अनुसार विरेन्द्र, नीरज पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राम्हण के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम मोठपुर सम्वत 2073–76 खाता सं. 60 दाखा बाई पुत्री परमा के खातेदारी में दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार बारां के अनुसार प्रार्थी के खाते की आराजी ख.नं. 201 रकबा 0.13 है., ख.नं. 867/203 रकबा 0.75 है. ख.नं. 870/206 रकबा 0.48 है. कुल किता 3 रकबा 1.36 है. ग्राम फूंसरा में प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज है। जिसमें से ख.नं. 870/206 रकबा 0.48 है. ग्राम फूंसरा व मोठपुर के कांकड ख.नं. 207 से लगवा स्थित है। ख.नं. 207 रकबा 0.28 है. किस्म गैरमुमकिन खाल दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

है। जिसमें वर्तमान में ग्राम मोठपुर के खातेदार दाखां बाई पुत्री परमा द्वारा कब्जा काश्त किया हुआ है। मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ग्राम मोठपुर के ख.नं. 127 रकबा 0.30 है. किस्म गैरमुमकिन रास्ता जो कि वर्तमान में चालू है, से अप्रार्थी खातेदार दाखां बाई की आराजी ख.नं. 128 के पूर्वी हिस्से में से 80 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौडाई का रास्ता प्राप्त करना चाहता है। जिसमें रकबा लगभग 0.05 है. बनता है। प्रार्थी अपने खाते की आराजी ग्राम फूंसरा में ग्राम मोठपुर में दर्ज आराजी ख.नं. 127 रकबा 0.30 है. सिवायचक रास्ता में होकर अप्रार्थी दाखां बाई के खेत ख.नं. 128 के पूर्वी हिस्से में होकर रिकार्डेड रास्ता प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत रिकार्ड एवं तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण को उसके खाते की भूमि पर जाने का रास्ता अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 128 रकबा 0.64 है. के पूर्वी हिस्से में होकर नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर का दोगुना राशि का भुगतान करने पर दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मोठपुर तहसील बारां के ख.नं. 128 रकबा 0.64 है. की पूर्वी मेड पर होकर 30 फूट का रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने जाने का कायम किया जाता है। उक्त रास्ते में दी गयी भूमि के बदले प्रार्थीगण को वर्तमान डीएलसी दर से दोगुना राशि का भुगतान हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराया जावें। तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से प्राप्त राशि का भुगतान अप्रार्थी को किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां